



डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बन्धन/ 4115(167) /2017

दिनांक: 26 SEP 2017

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

पं० लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़

विषय:- पं० लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को विज्ञान एवं वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) एवं बी०काम० पाठ्यक्रमों में सम्बन्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-एफिल/वी०सी०/2231 दिनांक 01.10.2014 एवं एफिल/वी०सी०/2248 दिनांक 01.10.2014 के द्वारा पं० लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को विज्ञान एवं वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) एवं बी०काम० पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत 01.07.2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बन्धता की पूर्वानुमति प्रदान किया जाना सूचित किया गया था।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार पं० लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को विज्ञान एवं वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) एवं बी०काम० पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बन्धता प्रदान की जाती है। यह सम्बन्धता बी०एससी० (बायो/मैथ) एवं बी०काम० पाठ्यक्रम में (सत्र 2017-18) दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2018 तक (एक वर्ष) के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :-

1. प्रबन्ध समिति कालातीत हो चुकी है।
2. शिक्षक अनुमोदित नहीं है।
3. नकल विहीन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
4. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

- (1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कमियों के साथ-साथ दिनांक 30.06.2018 तक सम्बन्धता सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हो।
- (2) महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बन्धता प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बन्धता विभाग में पत्राज्ञात जमा कराये अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बन्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (3) महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुविधा बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षों तथा परीक्षा नियन्त्रक कक्ष में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी०सी०टी०वी० कैमरे लगने का प्रमाण विश्वविद्यालय में प्रेषित किया जाये।
- (4) महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या एवं पत्र में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (5) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बन्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (6) संस्थान/महाविद्यालय सम्बन्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बन्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (7) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
- (8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (9) महाविद्यालय को सम्बन्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटारचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बन्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बन्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।
- (10) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- (11) संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।
- (12) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजुकेशन(ए०आई०एस०एच०ई०) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी०सी०एफ० - II पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

यह सम्बन्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, पं० लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बन्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बन्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव

कुलसचिव